**भारत में सड़कों के विकास के लिए विश्व बैंक का सुझाव**

1713. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल भतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक के इस आशय के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है कि यदि भारत में सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी निवेल नहीं दिया गया तो देश को इस शताब्दी के अंत तक प्रतिवर्ष पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त घाटा उठाना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

**जल-भतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी नहीं । भारत में सड़कों के विशप संदर्भ में अभी हाल ही में विल्व बैंक से एसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**कोयले की ढुलाई के लिए सड़कों को सुदृढ़ करने हेतु धन राशि के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध**

1714. **श्री अजीत जोगी :**
**श्री राजू भाई ए० परमार :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को, मध्य प्रदेश के बैतूल छिदवाड़ा जिले में कोल की ढुलाई के लिए प्रयुक्त होने वाली सड़कों को सुदृढ़ बनने और उन्हें चौड़ा करने के लिए मार्च, 1985 और मई, 1986 में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुई थे ;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर अपना वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित वित्तीय अनुमोदन कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**Exemption of Cochin Port from the restrictions of the Marchant Shipping Act**

1715. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a memorandum from the Cochin Port Trade Unions Action Council was submitted to his Ministry for exemption of the Cochin Port from the restriction under Sections 407 and 408 of the Merchant Shipping Act; and

(b) If so, what is the reaction of Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Yes, Sir. A memorandum was received to relax the said restriction in respect of Cochin Port for Transhipment Container Traffic. A policy decision has been taken by the Government to temporarily relax the Cabotage restriction under Section 407 and 408 of the Merchant Shipping Act, in favour of those foreign shipping lines which bring sizeable number of transhipment containers into the country. No firm offer has been received.

**Private sector's entry into ship building industry**

1716. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is a persistent demand to allow private sector in